



## सम्बद्धता आदेश

- उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम-1973 (व्यासांशोधित) उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2014) (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-14 सन् 2014) की घारा-37(2) के परन्तुक के अधीन कार्य परिषद द्वारा अनुमोदन की प्रत्याशा में लालनीय कुलपति जी के आदेश दिनांक 12-07-2021 के अनुपालन में जावित्री इस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज कनकहा, रायबरेली संचालित किये जाने हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन राज्य 2020-21 हेतु सम्बद्धता प्रदान की जाती है।
- सर्वथा इण्डियन नर्सिंग काउन्सिल के प्रवेश के अनुसार वर्णित शर्तों को पूर्ण कर लेगा तथा उनकी निरन्तरता सुनिश्चित करेगा।
  - सर्वथा शासन द्वारा निर्धारित फीस की घनराशि ही छात्र/छात्राओं द्वारा लेनी तथा नर्सिंग कालेज में प्रवेश के माध्यम/विधि के सम्बन्ध में सर्वथा द्वारा इण्डियन नर्सिंग काउन्सिल, नई विल्ली/महाविद्यालय, विकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ०प्र० एवं संघिय रेट नेडिकल उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगी तथा इस सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत होने वाले शासनादेशों का पालन करेगी।
  - सर्वथा द्वारा प्रवेशित छात्र/छात्राओं की परीक्षा आई०एन०सी० रेग्युलेशन के आधार पर निर्धारित पठन विवर के उपरान्त ही करायी जायेगी।
  - सर्वथा/महाविद्यालय शासनादेश संख्या: 2851/सत्तर-२-२००३-१५(९२)/२००२ दिनांक 02 जुलाई, २००३ में उल्लिखित सुसंगत दिशा-निर्देशों एवं इस विषय में समय-समय पर अन्य सुसंगत शासनादेशों का पालन करेगी।
  - सर्वथा/महाविद्यालय कुलसंचय को इस आशय का प्रमाण पत्र प्रति वर्ष प्रेषित करेगा कि महाविद्यालय को प्रदान की गई सम्बद्धता की शर्ते महाविद्यालय निरन्तर पूरी कर रहा है।
  - सर्वथा/महाविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय की अधिनियम/परिनियमावली में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता एवं उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित न किये जाने की दशा में उ०प्र० राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के प्रविधानों के अन्तर्गत सर्वथा को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस किये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।
  - सर्वथा/महाविद्यालय को सम्बद्धता आदेश महाविद्यालय द्वारा प्रमाणित प्रपत्रों एवं सूचनाओं के आधार पर जारी किया जा रहा है।
  - महाविद्यालय द्वारा मानकानुसार अनुमोदित/कार्यरत शिक्षकों का बायोडाटा, आधार-कार्ड, अनुबन्ध पत्र वेतन भुगतान का विवरण एवं परीक्षा आदि कार्य सम्पादित कराये जायेंगे।
  - मा० उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका संख्या-61859/2012 में पारित आदेश दिनांक 20.12.2012 के अनुपालन में मानकानुसार शिक्षकों के अनुमोदन/नियुक्ति के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश संख्या-522/सत्तर-२-२०१३-२(६५०)/२०१२ दिनांक 30 अप्रैल 2013 का अनुपालन महाविद्यालय द्वारा सुनिश्चित की जायेगी।
  - सर्वथा/महाविद्यालय द्वारा प्रवेश एवं परीक्षाओं आदि से सम्बन्धित विश्वविद्यालय परिनियमावली/अध्यादेश एवं सुसंगत शासनादेश का पालन सुनिश्चित करेगी।
  - सर्वथा/महाविद्यालय द्वारा शासनादेश संख्या-421/सत्तर-१-२०१५-१६(२०)/२०११, दिनांक 22 मई, 2015 के अनुसार प्रवेश प्रक्रिया सुनिश्चित की जायेगी। सर्वथा/महाविद्यालय द्वारा मानकानुसार अनुमोदित एवं कार्यरत शिक्षकों की निरन्तरता सुनिश्चित की जायेगी। प्रत्येक वर्ष AISHE के PORTAL पर DCF-II से सम्बन्धित सूचनाएं अपलोड करना अनिवार्य होगा।

भवदीय

कुलसाहेब

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- प्रमुख संचिव, विकित्सा शिक्षा अनुभाग-३, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
- संधिव, स्टेट मेडिकल फैकल्टी, लखनऊ।
- प्रबन्धक, जावित्री इस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज कनकहा, रायबरेली रोड मोहनलालगंज, लखनऊ,
- परीक्षा नियन्त्रक, डॉ० राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या।
- निजी संधिव कुलपति, कुलपति जी के सूचनार्थ।
- प्रोचामर, ई०डी०पी० सेल को इस आशय से प्रेषित है कि उक्त प्रति कालेज लाग-इन एवं विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

कुलसाहेब